अनुसूची १—फार्म सं० ५६६ ।

आदेश-फलक

(देखो सिविल हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश फलक ता०

जिला सन् १९

विविध वाद सं- 02/20-21

करमी देवी
पति कैलाश करमाली
ग्राम - दिगवार
बनाम
पवन महतो पिता रामजतन महतो
मलेन्द्र महतो पिता हीरालाल महतो
शंकर महतो पिता कोमल महतो
ग्राम दिगवार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
20.6.20	आवेदिका करमी देवी पति कैलाश करमाली ग्राम दिगवार के आवेदन पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम दिगवार के खाता सं 158 प्लॉट सं. 815 रकबा 2.40 ए० भूमि मेरे ससुर गुली करमाली को बन्दोबस्ती से प्राप्त है। उक्त भूमि को ग्राम दिगवार के पवन महतो, पिता रामजतन महतो, मलेन्द्र महतो पिता हीरालाल महतो, शंकर महतो पिता कोमल महतो के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। उक्त भूमि का अंचल राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया गया जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम दिगवार के खाता सं. 158 प्लॉट सं. 815 रकबा 2.40 ए० भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। पंजी II के पृष्ठ सं. 58/84 पर रकबा 2.40 ए० भूमि की जमाबंदी गुली करमाली पिता भगत करमाली के नाम से दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि बन्दोबस्ती से प्राप्त होने का दावा करती है। उक्त भूमि पर आवेदिका का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में हरि महतो वगैरह दावा करते है। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग की जा सकती है। अतः राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक 27-06-20 को रखें। 20/6 अं० अ०	

अंचल अधिकारी का न्यायालय, माण्डू

आदेश पत्र

विविध वाद सं0 – 02/20–21

करमी देवी बनाम् पवन महतो वगै0

	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	
6.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत मामला श्रीमति करमी देवी पति कैलाश करमाली ग्राम दिगवार थाना माण्डू जिला रामगढ़ के आवेदन दिनांक 06.05.2020 के आधार पर सुनवाई की गई। श्रीमति करमी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की मौजा दिगवार खाता सं0 158 प्लॉट सं0 815 रकवा 2.40ए0 भूमि बंदोबस्ती वाद सं0 29/75–76 के आधार पर प्राप्त है। यह भी सूचित किया गया है की पवन महतो पिता रामजतन महतो, झलेन्द्रर महतो पिता हिरालाल महतो, शंकर महतो पिता कोयना महतो ग्राम दिगवार उनके भूमि को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस आशय पर दिनांक 20.06.2020 को श्री पवन महतो एवं अन्य से कारण पृच्छा की गयी, श्री पवन महतो एवं अन्य द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है की प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में उन्हें किसी प्रकार का लेना–देना नही है। राजस्व उप–निरीक्षक द्वारा यह प्रतिवेदित है की प्रश्नगत भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर–मजरूआ खास खाते की भूमि है, जिसपर आवेदिका के ससुर गुझी करमाली पिता भगन करमाली के नाम से पंजी II के पृष्ठ सं0 58/II पर जमाबंदी कायम है। प्राप्त कागजातों एवं प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है की पवन महतो एवं अन्य को इस भूमि के संदर्भ में कोई लेना–देना नही है। फलतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। ह0 6/10/2020 अंचल अधिकारी माण्डू	